फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 110/24 (प्रा0पत्र) शीर्षक शंकरलाल बनाम बालुराम व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
16.8.24	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। पत्रावली बाद जांच पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवश्यक प्रकृति का प्रकरण होने से इसमें आज ही सुनवाई की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें इस बाबत् मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट भी पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी संक्षिप्त बहस में बताया कि राजस्व ग्राम कुण्डेली, पटवार हल्का सांगावास, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 231 खसरा संख्या 1081, 569 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खाता संख्या 233 खसरा संख्या 1072 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खाता संख्या 315 खसरा संख्या 1344 रकबा 0.2800 हैक्टेयर,खाता संख्या 290 खसरा संख्या 1354 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खाता संख्या 456 खसरा संख्या 1075, 1080, 1341, 1343 किता 04 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के नाम व प्रार्थी की दत्तक माता मोहनी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के दत्तक पिता भूराराम की मृत्यु के पश्चात उसकी दत्तक माता मोहनी देवी के नाम पर दर्ज है प्रार्थी की दत्तक माता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी के दत्तक पिता भूराराम ने प्रार्थी के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं होने के कारण प्रार्थी को 15 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया गया तथा प्रार्थी ने दत्तक पुत्र की हैसियत से सामाजिक कर्तव्यों का पालन किया है जिससे वह स्व0 मोहनीदेवी की सम्पत्ति का एकमात्र वारिस है। प्रार्थी की दत्तक माता की मृत्यु के पश्चात भी उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग निरन्तर व निर्बाध रूप से प्रार्थी का ही चला आया है। प्रार्थी मोहनी देवी की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि अपने नाम दर्ज कराने का विधिक अधिकारी है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की नियत में खोट आ जाने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 खातेदारी भूमि का नामान्तरण अपने नाम पर खुलवाकर भूमि अन्यत्र को विक्रय करने पर आमदा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं प्रार्थी गोदपुत्र की हैसियत से उक्त भूमि का विधिक हकदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है एवं प्रार्थी की भूमि को खूर्द बूर्द करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। यदि प्रार्थी की उक्त भूमि को अप्रार्थीगणों द्वारा खूर्द बूर्द किया जाता है तो प्रार्थी के हक एवं अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा एवं प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ में किया जाना संभव नहीं होगा। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कुण्डेली, पटवार हल्का सांगावास, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 231 खसरा संख्या 1081, 569 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खाता संख्या 233 खसरा संख्या 1072 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खाता संख्या 315 खसरा संख्या 1344 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खाता संख्या 290 खसरा संख्या 1354 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खाता संख्या 456 खसरा संख्या 1075, 1080, 1341, 1343 किता 04 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि में मोहनी देवी के हक हिस्से की भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए जाते है। अप्रार्थी संख्या 01 से 09 उक्त भूमि को रहन बय, विक्रय, हस्तानान्तरण, अन्तरीत नहीं करे न ही अपने नौकर, चाकर से करावे मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 08 वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुबंध, ईकरानामा, विक्रयपत्र नहीं करे एवं 09 वादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक तक बनाये रखे। अधिवक्ता प्रार्थी आदेश 39 नियम 03 की पालना करें। प्रार्थीगण अधिवक्ता हुक्म इम्तदाई के नोटिस मय नकल के पेश करें। पत्रावली दिनांक को 11/09/2024 पेश हो। सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द	

11/09/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/10/2024
.....को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़)

01/10/2024
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी शेष है। अधिवक्ता प्रार्थी तलबी हेतु सम्मन पेश करे तो जारी किया जावें। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी दिनांक 12/11/2024 को पेश हो।

12/11/2024
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के अधिवक्ता जवाब पेश करने हेतु समय चाहते है। समय दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 08 व 09 की तलबी शेष है। अधिवक्ता प्रार्थी तलबी हेतु सम्मन पेश करे तो जारी किया जावें। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी दिनांक 26/11/2024 को पेश हो।

26/11/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/12/2024
..... को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 110/2024 शीर्षक शंकर लाल बनाम बालूराम व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	18/12/2024 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/12/2024 को पेश हो।	
	23/12/2024 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते है। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03/01/2025 को पेश हो।	
	03/01/2025 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते है। अधिवक्ता प्रार्थी को 1000 रुपये की कोस्ट पर बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी दिनांक को अनिवार्य रूप से बहस करें। पत्रावली बहस दिनांक 17/01/2025 को पेश हो।	राजेश हेमदासी एड.
	17/01/2025 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 08 व 09 की तामील मूल वाद में हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 08 व 09 उपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने रजिस्टर्ड गोदनामा या ऐसा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसान है। ऐसे स्थिति में विधिक वारिसान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर लेकम की जावे।	

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द